भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:1154

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सक और रोगी अनुपात

1154. श्री अभिषेक बनर्जी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक और रोगी अनुपात कितना है; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने के लिए चिकित्सकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण प्रवार)

(क) से (ख): राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, जून, 2022 तक राज्य चिकित्सा परिषदों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के साथ 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत हैं। पंजीकृत एलोपैथिक चिकित्सकों और 565 लाख आयुष डाक्टरों की 80% उपलब्धता मानते हुए देश में चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1:834 है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1:1000 के मानक से बेहतर है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है ताकि ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों सहित पूरे देश में समान, वहनीय और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान की जा सके। इसके अलावा, एनएचएम के तहत, जन स्वास्थ्य सुविधाओं में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी के मामलों का समाधान करने के लिए मानव संसाधन संलग्न करने के लिए दुर्गम क्षेत्र भत्ता, निष्पादन आधारित प्रोत्साहन, ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में आवास और परिवहन सुविधाएं प्रदान करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित करने आदि के लिए राज्यों को छूट प्रदान किया गया है। राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए "आप बोलो, हम भुगतान करेगें" जैसे कार्यों में लचीलेपन सहित पर्याप्त वेतन देने की भी अनुमति दी गई है।

राज्यों को जन स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए डाक्टरों और विशेषज्ञों को नियुक्त करने हेतु लचीले मानदण्ड अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इनमें एनएचएम के तहत जन सुविधाओं पर सेवा वितरण के लिए विशेषज्ञ सेवाओं के 'युक्ति' और 'सेवा समाप्ति' और सरकारी प्रणाली के बाहर विशेषज्ञों को शामिल करना शामिल है।

जिला/ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में वृद्धि करने और देश में विशेषज्ञों की कमी के मामलों का समाधान करने के लिए सरकार ने जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम अनुमोदित किया है, जिसमें मेडिकल कॉलेजों के द्वितीय/तृतीय वर्ष के स्नातकोत्तर छात्रों को तीन माह की अवधि के लिए जिला अस्पतालों में नियुक्त किया जाना है।

*****